रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226267
CG-DL-E-31032021-226267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1298] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943
No. 1298] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1403(अ).—भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 4155(अ) दिनांकित 23 दिसम्बर, 2016 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752 सी को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया हैं।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे ''नियम'' के रूप में उल्लेखित हैं) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752 सी के शुजालपुर–आष्टा खण्ड के डिजाईन किमी 41.800 से किमी 82.300 (मौजुदा किमी 40.860 से कमी 85.240) के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 40.375 किमी लंबाई की निवल सड़क खण्ड के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के 60 प्रतिशत पर यांत्रिक वाहनों से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20

भारी निर्माण मशीनरी (एच सी एम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई एम ई) या बहुधुरीय वाहन (एम ए वी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1 इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विर्निदिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा में देय और संदेय होगी :-

तालिका–2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है।**	**दर, जिस पर फीस संदेय है।**
मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में पटारिया गोयल गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 752 सी के किमी 72.500 पर	40.375 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका–1 में उल्लेखित आधार दरों का 60%

2 गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020–2021 के लिए 275.00 रु. (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन हैं।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका–3		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता अवधि**
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए फीस संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप–नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्षित करनी होगी ।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उर्पयुक्त तालिका–1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किमी. फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 185.00 करोड़ रुपए है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा]। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्ताओं से वसूल किये गये शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पष्चात्, लगाये जाने वाले शुल्क की दरों को घटा कर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा ।

[फा. सं.सीई–आरओ/भोपाल/15010/08/2019–20]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1403(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4155(E) dated 23rd December, 2016 issued under Section 5 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956) , the Central Government has entrusted the National Highway Number NH–752C as situated in the State of Madhya Pradesh to the State Government of Madhya Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 40.375 Km. for use of two lane with paved shoulder section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Shujalpur to Ashta Section from design kilometer 41.800 to kilometer 82.300 (existing Km. 40.860 to Km. 85.240) of National Highway Number 752C in the State of Madhya Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:-

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km. 72.500 of National Highway 752C near Patariya goyal village in Sehore district In the State Madhya Pradesh	40.375 Km.	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 275.00 (Rupees Two Hundred and Seventy Five) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-3

Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 185.00 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. CE-RO/BPL/15010/08/2019-20]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.31 18:29:32 +05'30'